SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

कौशल विकास और रोजगारः झारखंड राज्य के पलामू जिला के संदर्भ में अध्ययन

अखिलेश कुमार सिंह, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
अखिलेश कुमार सिंह, शोधार्थी
E-mail : aksinghabvp120@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/09/2025
Revised on : 31/10/2025
Accepted on : 09/11/2025
Overall Similarity : 00% on 01/11/2025

शोध सार

कौशल और सूचना व्यापक आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के प्रमुख चालक है। कौशल विकास के लिए उपयुक्त नीतियां अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार, भारत ने राष्ट्र के तेज और सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ, भारत को अपने कार्यबल को पर्याप्त कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। कौशल विकास एक राष्ट्रीय मार्गाधिकार के रूप में उभरा है जिसके लिए कई उपाय किए गए हैं और भविष्य के लिए प्रक्रियाधीन हैं। उत्तरोत्तर अन्योन्याश्रित विश्व में, सभी देश आनुपातिक कारक बंदोबस्ती को अनुकूलित करने के लिए नीतियों का सख्ती से अनुसरण करेंगे। तेजी से तकनीकी परिवर्तन, लेनदेन को अधिक सहज बनाते हुए, वैश्विक सम्मेलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करेंगे। यह समझा गया है कि इस सदी की लड़ाई विचारों की शक्ति पर लड़ी और जीती जाएगी। समाज में रहने वाले कामकाजी लोग तेजी से ज्ञान आधारित बनेंगे और ज्ञान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे। कौशल समृद्धि और कल्याण का एक महत्वपूर्ण कारक है। कुशल जनशक्ति के विशाल भंडार के रूप में भारत के पास एक विशिष्ट तुलनात्मक कारक लाभ है। जनसांख्यिकीय विभेदकों से पता चलता है कि अगले 20–30 वर्षों में, भारत के पास युवा आयु वर्ग में केंद्रित जनसंख्या प्रोफाइल में अलग–अलग फायदे हैं, जहां कई नए अवसरों को पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है। वे कौन सी नीतियां हैं जो भारत को इन उभरते अवसरों का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं और हमें एक राष्ट्र के रूप में क्या करना चाहिए ताकि हम विजेता बनें न कि हारने वाले? भारत के लिए विकास अनिवार्य है।

मुख्य शब्द

कौशल विकास, बरोजगारी, प्रशिक्षण, रोजगार.

प्रस्तावना

बेरोजगारी एक गंभीर आर्थिक व समाजिक समस्या है जिसके कारण देश के विकास में ब्रेक लग जाता है। समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक वातावरण दूषित होने का मुख्य कारण बेरोजगारी है इसलिए बेवरिज विलियम ने कहा है कि, ''बेरोजगारी के स्थान पर मानव श्रम को गड्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है।'' देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी बेरोजगारी को एक सामाजिक अपराध की संज्ञा देते हुए कहा था कि, ''किसी स्वस्थ समाज के अन्दर चंद व्यक्तियों के पास धन का रहना और लाखों का बेकार होना एक महान सामाजिक रोग है।'' देश में आजादी के बाद गांवों को बेरोजगारी रूपी राक्षस से स्वतंत्र करवाने हेतु सरकार अनेक सामान्य विकास कार्यक्रमों व नीतियों को चला रही है। इनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। आज के दिन भी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि व संबंधित कामों में लगे हुए हैं। 1947 के बाद से ही सरकार कृषि के उत्पादकता बढ़ाने हेतु बराबर प्रयास कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके। छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी रेखांकित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि उद्योग इंतजार कर सकती है, कृषि नहीं।

भारत में कृषि के महत्व और निर्भरता को देखते हुए बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने हेतु कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने हेतु वर्ष 1994 से प्रयास प्रारम्भ किया गया था। इस संदर्भ में भूमि सुधार व ग्रामीणो को सेठों (महाजनों) के आधिपत्य से मुक्त करके सरकार द्वारा संस्थागत ऋण देने की व्यवस्था, नाबार्ड एवं ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि कार्यक्रमों का सूत्रपात करके गाँवों को विकास की नई दिशा देने की पहल की गई। सिंचाई उर्वरक कृषिगत आगतों यथा सिंचाई, उर्वरक, बिजली, कृषि मशीनों व बीज आदि की सुचारू व सहज व्यवस्था का सरकारी नियम लाने के साथ ही कम से कम समर्थन कीमत एवं फसल बीमा योजना जैसे अनेक योजनाओं के तहत किसानों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया ताकि किसानों के लिए कम से कम आमदनी स्तर को निश्चित किया जा सके। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने तथा खेती में जोखिम को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजना चलाई गई जिसमें किसान कर्ज माफी योजना महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

विश्व में भारत देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करके गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी बिल लागू कर रोजगार को कानून अधिकार की मान्यता दी है अर्थात् स्पष्ट है कि– रोजगार गारण्टी कानून गाँवों में विद्यमान बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को गांवों में ही स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे वाटरशेड प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यों, सड़क, पंचायत घरों के निर्माण, तालाब निर्माण, वन संरक्षण व वृक्षारोपण जैसे कार्यों में संलग्न किया गया है। ज्ञातव्य है कि अब इस कार्यक्रम को समूचे देश में लागू किया जा रहा है।

इसी भांति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संचालन सूखा संभाव्य क्षेत्रों व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर, जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके व पर्यावरण सन्तुलन को बनाए रखकर रोजगार बढ़ाने की भरसक कोशिश कर रही है।[1]

निर्विवाद रूप से इन सारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो रही है । परम्परागत कृषि के साथ औषधीय पौधों की खेती, बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मनरेगा जैसी योजना ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, रोजगार की तलाश में गांव के जन शहरों की ओर पलायन के लिए विवश नहीं हैं। इन सब सफलताओं के बावजूद भी सच्चाई यह है कि देश के गांवों में अभी भी बेरोजगारी व्याप्त है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया

है कि नब्बे के दशक के प्रारम्भ में ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी का प्रतिशत 8.65 था जो कि नब्बे के दशक के अन्त में 11 प्रतिशत हो गया है। ज्ञातव्य है कि गाँवों में प्रशिक्षित कुशल युवा लोगों के लिए रोजगार अवसरों का अभाव है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र में भी रोजगार की वृद्धि दर कम है जोकि बेरोजगार हाथों को काम देने के दृष्टिकोण से काफी कम है। अतः ग्रामीण बेरोजगारों को काम देने के लिए कृषि के अतिरिक्त लघु, कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों के विकास व विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारी के अनेक आर्थिक एवं आर्थिकेतर बुरे परिणाम होते हैं जो व्यक्ति और समाज, दोनों के लिए गम्भिर समस्या होते हैं। निश्चित तौर पर यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि श्रमबल किसी भी देश का पूंजी है किंतु मानव शक्ति को पूर्ण रोजगार न मिलने से इस शक्ति का पूर्ण उपभोग नहीं हो पाता और यह शक्ति व्यर्थ चला जाता है।[2]

लघु, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के विकास मार्ग में अवस्थित विभिन्न अवरोधों व कठिनाईयों का निवारण करते हुए उनकी स्थापना, विकास व विस्तार हेतु ठोस, प्रभावी कदम ईमानदारी से उठाने चाहिए। ऐसा करके ये उद्योग बेरोजगारी निवारण में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास धुरी भी बन सकते हैं। बेरोजगारी उन्मूलन में खादी ग्रामोद्योग भी संजीवनी का काम कर सकता है। खादी ग्रामाद्योग का पुनरुद्धार करके खादी के प्रति लोगों की अभिरुची जागृत करके इस उद्योग में रोजगार सृजन किया जाना संभव है। इसी भांति, ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु प्रभावी नीति का क्रियान्वयन करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण रोजगार अवसरों में इजाफा किया जा सकता है। पूर्व में केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री रेणुका चौधरी ने भी ग्रामीण रोजगार संवर्द्धन में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करते हुए सटीक ही कहा था कि कृषि उद्योग या अन्य रोजगार के माध्यमों की अपेक्षा पर्यटन में रोजगार की चार गुना अधिक संभावनाएं विद्यमान हैं। इसी प्रकार, फल–सब्जियों के उत्पादन में देश के महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिगत रखते हुए गाँवों में ही फलों व सब्जियों से संबंधित प्रक्रिया इकाइयों का स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लाखों ग्रामीण हाथों को काम मिल सके। वर्तमान में, स्वयंसहायता समूह तथा सूक्ष्म वित्त की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए गाँवों में युवकों व महिलाओं को स्वयंसहायता समूह गठित करने तथा बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करके आय सृजन गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।[3]

निसंदेह रूप से इन सब उपायों को अपनाकर काफी हद तक ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी की दूर्दशा से विमुक्त करके गरीबी, अज्ञानता व निरक्षरता के जाल से भी निकालना संभव है, ग्रामीण क्षेत्रों में ''संचार क्रान्ति'' का सफल संचालन करते हुए केवल ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से अवगत कराना संभव है अपितु उनको विभिन्न रोजगार अवसरों, शिक्षा स्वास्थ्य व खेती से संबंधित अद्यतन व वैज्ञानिक जानकारी भी प्रदान करना संभव है। संचार क्रान्ति के माध्यम से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए विकल्प ग्रामीण युवाओं के लिए खुल जाएंगे।[4]

रोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासन व निरीक्षण पद्धति को अधिक सक्षम, पारदर्शी व सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण लोग निरक्षरता, पहुँच व जागरुकता के अभाव के कारण योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतः इन योजना के प्रचार–प्रसार के लिए स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संस्थानों व स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन सकती हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर व्यय लगभग 7000 करोड़ रुपये था जोकि बढ़कर सातवीं योजना में दुगुने से भी अधिक लगभग 15250 करोड़ रुपये हो गया। दसवीं योजना में ग्रामीण विकास पर व्यय 1,21,928 करोड़ रुपये हुआ। इसी भांति विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि एवं सिंचाई पर योजनागत व्यय की मात्रा उत्तरोतर बढ़ती गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण–पत्र में कृषि की स्थिति को प्रोन्नत करने हेतु श्रम एवं बीमा सुधार, मृदा संरक्षण व विकास तथा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि के अतिरिक्त, गाँवों में 'पशुपालन' का भी रोजगार के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण स्थान है। सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को लगभग 25 लाख रुपये तक के ऋण डेयरी लगाने हेतु

प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्वयं रोजगार डेयरी परियोजना, विशेष डेयरी परियोजना, सघन डेयरी परियोजना, व्यावसायिक डेयरी विकास परियोजनाओं आदि का शुभारम्भ रोजगार–अवसरों का विस्तार करने हेतु किया गया। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र का विकास करने तथा स्वरोजगार जनित अवसर करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्त्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप प्रदान करने में गुजरात ने सफलता हासिल की है। अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करते हुए गाँवों में बैंकिंग, आईटी एवं बीपीओ सेंटरों आदि में रोजगार अवसरों का सृजन करके ग्रामीण शिक्षित युवकों को गाँवों में ही रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इसी भांति भारत निर्माण योजना न केवल गाँवों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है अपितु गाँवों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार प्रदान कर रही है। इसके साथ ही, विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से भी सरकार गाँवों से बेरोजगारी की भयावह समस्या को समूल उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील व कटिबद्ध है।[5]

झारखण्ड राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और बेरोजगारी पर प्रभाव

झारखण्ड राज्य के ग्रामीण परिवेश में कुशल और कौशल दोनो विद्यमान है किंतु उस कुशलता को वर्तमान समय के अनुरूप ढालनें की जरूरत है। ग्रामीण बेरोजगार हाथ को आत्मनिर्भर और रोजगार युक्त बनानें के लिए झारखण्ड में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1 अक्टूबर 2013 को किया गया था। 11 अगस्त 2016 को झारखण्ड सरकार की अधिसूचना के माध्यम से झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को झारखण्ड सरकार के उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत एक स्वायत निकाय बनाया गया था। इसका प्रबंधन शासी निकाय के द्वारा होता है। यह संस्था राज्य में सभी कौशल विकास कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है, जो एक प्रभावी और गुणवता युक्त कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रयास करता है। इस योजना का लक्ष्य 18–35 वर्ष के आयु वर्ग के 1400000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का है। विरसा योजना की बात करें तो वित्त वर्ष 2023–24 में आरक्षित श्रेणी वाले लोग जो 50 वर्ष के हैं वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि स्थायी आजीविका पैदा कर सकें। झारखण्ड में कुल 122 प्रशिक्षण सेवा प्रदाता 'सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना' वर्तमान में मुख्य मंत्री सारथी योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। झारखण्ड राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार युक्त बनानें के लिए सरकार नें विभिन्न (एक्सल, डीडीयूके, एसजेकेवाई, आरपीएल,बिरसा) कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रही।[6]

साहित्य अवलोकन

प्रशिक्षण मूल्यांकन के चार स्तरों पर चर्चा । पहला कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया है। यह आंकलन करने पर केंद्रित है कि प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में क्या सोचा था, आमतौर पर प्रश्नावली के रूप में। दूसरा स्तर प्रशिक्षकों की शिक्षा है। यह उनके प्राप्त कौशल को मापने पर केंद्रित है जिन्हें प्रशिक्षण उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तीसरा स्तर व्यवहारिक परिणाम है। यह नौकरी के प्रदर्शन के पहलुओं को मापने पर केंद्रित है, जो प्रशिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हैं। गरीबी समाप्त करने तथा आम जनता की सम्मान जनक जीवन स्तर प्रदान करने में रोजगार का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र की सम्पूर्ण श्रम शक्ति का विकास करने तथा सम्पूर्ण समाज में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से भी रोजगार का महत्वपूर्ण स्थान है। रोजगार वह क्रिया है जो आय कमाने के उद्देश्य से की जाती है।[7]

किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार केवल उसी अवस्था में कहा जा सकता है जबकि वह काम करने के योग्य तो है तथा कार्य करना भी चाहता है, किन्तु उसे कार्य नहीं मिलता। इसी दृष्टिकोण के अन्तर्गत बच्चों, बीमारों, बुढ़ों, अपाहिजों, पागलों, साधुओं, भिखारियों आदि को रोजगार में संलग्न नहीं माना जा सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः चक्रीय एवं अल्पकालीन बेरोजगारी पाई जाती है, जो कि प्रभावपूर्ण माँग के घटने के कारण उत्पन्न होती है, इसके विपरीत भारत जैसे विकासशील देश में मुख्य रूप से दीर्घकालीन एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। विकासशील देशों में बेरोजागारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण पूँजी की कमी

होना है।[8]

समग्र प्रभाव में सुधार और अधिक प्रभावी कार्य को सक्षम करने के लिए एक उपकरण कौशल विकास है। वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन में तेजी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए कठिनाइयों और संभावनाओं दोनों को प्रस्तुत करती है। वैश्वीकरण की संभावनाएं उन राष्ट्रों के लिए आसान होंगी जिनके पास उच्च और बेहतर स्तर की योग्यता है। जब अपने युवाओं के कौशल विकास को संबोधित करने की बात आती है, तो भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।[9]

कौशल विकास कार्यक्रम लोगों के जीवन को बदल सकता है और समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज दोनों की आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। कम कौशल स्तर वाले लोग संघर्ष करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि वे बेरोजगार होने या कम कौशल, कम आय वाले पदों में बंद होने की अधिक संभावना रखते हैं। चूंकि वे लोगों को स्वीकार्य रोजगार करने और उनकी भलाई को बढ़ाने की क्षमता देते हैं, इसलिए कौशल सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कौशल और ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। वास्तव में, कौशल में किया गया निवेश देशों को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कार्यबल में उपयुक्त कौशल की कमी लोगों, समाजों और देशों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लिए समान अवसर खोलने वाली कुंजी कुशल हो सकती है। समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग शिक्षा, प्रशिक्षण और काम तक समान पहुंच के साथ सामाजिक सीढ़ी तक जा सकते हैं।[10]

शोध कार्य विधि

यह शोध कार्य पलामू जिले के स्नातक में अध्ययन कर रहे विद्यार्थीयों पर किया गया है, जिनसे गुगल फॉर्म अनुसूची भरवाकर किया गया है।

महत्व

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या युवाओं का है। कुल जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत लोग कामकाजी उम्र के हैं। बेरोजगारी, भारत का ही नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व का ज्वलंत मुद्दों में से एक है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने का भरसक प्रयास होता है किन्तु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार सृजन न होने से प्रयास असफल हो जाता है। ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षण पूर्ण कर स्वरोजगार और विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं।

उद्देश्य

1. युवाओं के बीच कौशल विकास के संबंध में जानकारी उपलबध कराना।
2. रोजगार सृजन में कौशल विकास की योगदान के बारे में युवाओं के बीच में जागरूकता का अध्ययन करना।

आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष

शोध विश्लेषण आंकड़ा इकट्ठा करने का एक विधि है जो परिणाम निकालने के लिए तीव्रता के साथ प्रेरित करता है। आंकड़ों का इकट्ठा करना और विश्लेशण शोध में एक महत्वपूर्ण और विशेष प्रक्रिया है जिससे शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपकरणों के सहायता से आंकड़ों का संग्रह और जानकारी को एकत्रित किया जाता है और उन्हें संगठित, वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध किया जाता है तथा विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। जबतक एकत्र किए गए तथ्यों का व्यवस्थित रूप से विश्लेशण और व्याख्या नहीं की जाती है, तबतक अध्ययन के विषय के वास्तविक अर्थ, कारण और परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकते। आंकड़ों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया

गया है:

तालिका 1: कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में जानकारी है

कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में जानकारी है	संख्या	प्रतिशत
हां	131	78.9
नहीं	33	19.9
अन्य	2	1.2
कुल	166	100.0

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

तालिका 1 कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में 78.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी होने की बात कही वहीं 19.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी नहीं होने की बात कही। वर्तमान में भी जागरूकता की कमी है, आम जनमानस तक कौशल विकास कार्यक्रम पूर्ण जानकारी एवं लाभ के समझ नहीं है।

तालिका 2: कौशल विकास के संबंध में जानकारी कैसे मिली

जानकारी का स्त्रोत	संख्या	प्रतिशत
सरकारी विज्ञापन से	32	19.00
कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से	56	34.00
अपने परिजन से	30	18.00
अन्य	48	29.00
कुल	166	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता के संबंध में तालिका 1 में विश्लेषण किया गया जिसमें 19. 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी नहीं होने की बात कही यानी जागरूक नहीं हैं। जिन्हें जानकारी है, जाकारी के माध्यम क्या रहा तालिका 2 में विश्लेषण है। उत्तरदाताओं में 34 प्रतिशत लोगों ने कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से जानकारी की बात कही, वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी विज्ञापन के माध्यम से जानकारी होने की बात कही। इस विश्लेषण के माध्यम से यह पता चलता है कि जागरूकता की कमी है सकार की इस ओर ध्यान जितना होना चाहिए, नहीं है।

तालिका 3: कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित

कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित	संख्या	प्रतिशत
हां	82	49.00
नहीं	73	44.00
अन्य	11	07.00
कुल	166	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कौशल कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वहीं 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस विश्लेषण से प्रतित होता है कि कौशल विकास कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण से जुड़ाव के लिए युवाओं में जागृति आ रही है। दूसरी ओर प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थी बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ रहे हैं जो प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक के लिए चुनौती है।

तालिका 4: कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित होने पर रोजगार मिल रहा है

प्रशिक्षित होने पर रोजगार मिल रहा है	संख्या	प्रतिशत
हां	49	30.00
नहीं	38	23.00
अन्य	79	47.00
कुल	166	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

इस तालिका से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल रहा है, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां में अपना उत्तर दिया वहीं 23 प्रतिशत उत्तरपदाताओं ने नहीं में जवाब दिया वहीं 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उत्तर अन्य प्रकार से रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रम से रोजगा सृजन हो रहा है किन्तु जिस अनुपात में रोजगार सृजन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है।

तालिका 5: कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्धता है

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्धता	संख्या	प्रतिशत
है	90	54.00
नहीं है	20	12.00
अन्य	56	34.00
कुल	166	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

तालिका 5 से स्पष्ट है कि कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्ता है, किन्तु सामान्य रूप से जानकारी के अभाव में लाभार्थी इससे अछुता रह जा रहे हैं। 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की उपलब्धता पर हां में उत्तर दिया है वहीं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं नहीं में उत्तर दिया है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां और नहीं में उत्तर न देकर अन्य बाते कहे।

तालिका 6: कौशल विकास प्रशिक्षण की गुणवता में सुधार की जरूरत है

उत्तर	उत्तदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हां	123	74.00
नहीं	22	13.00
अन्य	21	13.00
कुल	166	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

किसी तरह के प्रशिक्षण या शिक्षण में गुणवता महत्वपूर्ण है क्योंकि गुणवता के कारण ही किसी वस्तु या जीव की महता को जाना जाता है। उदाहरण तौर पर अच्छे राजमिस्त्री को काम ढुंढना नहीं पड़ता, बल्कि उनके पास रोजगार देने वाले खुद आते हैं। तालिका 6 मे 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा यह कहा गया है कि गुणवता में सुधार की जरूरत है, वहीं मात्र 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुधार की जरूरत पर नहीं में उत्तर दिया और 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं अन्य में उत्तर दिया।

निष्कर्ष

- कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित, लाभकारी जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाया है।
- कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के गुणवता युक्त एवं पारिश्रमिक सम्मानजनक नहीं है।
- प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण केन्द्र के अन्य अधिकारी की प्रशिक्षण एवं योग्यता मानक का अध्ययन नहीं किया जाता है।

- कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की उपलब्धता पंचायत स्तर तक नहीं है।
- स्वरोजगार की कमी और लघु उद्यमिता की स्थिति कमजोर है, पूँजी और बाजार तक सीमित है।
- कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार सृजित कर रहा है किन्तु अपेक्षा के अनुसार पीछे है।
- प्रशिक्षित लाभार्थियों को कुशलता के अनुसार प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

सुझाव

- कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरकार को जागरूकता अभियान में तेजी लाना होगा।
- योग्य प्रशिक्षक एवं गुणवतापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए सरकारी तंत्र को पारदर्शिता और समय समय पर मूल्यांकन करने चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर उद्योग एवं रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।
- ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रशिक्षण हो।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, हरिश (दिसंबर, 2017) स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडियाः इम्पलिकेशन एण्ड चैलेंज, *जर्नल ऑफ एडुकेशन एण्ड वोकेशनल रिसर्च,* आईएसएसएन– 2221–2590, पृ. 47–48।
2. राव, एम. आर. एवं पलाडा (जुलाई 2004) मेडिकल एण्ड एरोमेटीक पलांट इन एग्रोफोरेस्टी, सिस्टम, *रिसर्चगेट,* DOI:10.1023/B:AGFO.0000028993.83007.4b, Accessed on 28/08/2025.
3. कुमार, सुनील (जुलाई 2020) भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग, इंटरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एण्ड सोसल साइंस, http://eurosaapub.org, Accessed on 28/08/2025.
4. रस्तोगी, कृति (2019) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* प्रथम संस्करण, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, पृ. 43।
5. राय, सुधीर कुमार (2006) *ग्रामीण सामाजिक संरचना और परिवर्तन,* नीलकमल प्राकश, गोरखपुर, पृ. 67।
6. बाला, अंजु खाखा (नवंबर, 2011) भारत में ग्रामीण बेकारी/ बेरोजगारी, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट साइंस,* आइएसएसएन नम्बर 2250–1770, https://rjpn.org/ijcspub/papers/IJCSP11D1007.pfd, Accessed on 26/08/2025.
7. Kirkpatrick, D. L. (1994) Evaluating training programs: The four levels (2nd ed.), San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
8. मिंज, दिवाकर (2021) *झारखण्ड का इतिहास,* क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची झारखण्ड, पृ. 38।
9. एनएसडीसी नेशनल स्किम डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, एक्सक्यूटिव समरी फॉर द स्टेट ऑफ झारखण्ड, (2012–2022) डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनएसडीसी आईएन.डीआई.ओआरजी, नेशनल स्किम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नई दिल्ली, Accessed on 27/08/2025.
10. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (सितम्बर, 2024) भारत के कौशल परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करना, PIB Delhi, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055658, Accessed on 28/08/2025.

****